

कार्यालय

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

पत्रांक: 1920 / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

दिनांक: 21 मई, 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के श्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आदेश संख्या-40-3/2020-डीएम-1(ए) दिनांक 17.05.2020 के क्रम में, मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18.05.2020 के प्रस्तर-4 के अन्तर्गत कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन का निर्धारण निम्नवत किया गया है:-

4- कन्टेनमेन्ट, बफर, रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन:-

- (i) जोन का निर्धारण केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाएगा।
- (ii) निर्धारित जोन के अंदर कन्टेनमेन्ट जोन एवं बफर जोन का निर्धारण जिला प्रशासन द्वारा केन्द्रीय परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) तथा राज्य सरकार द्वारा निर्गत गाइडलाईन के क्रम में किया जायेगा।
- (iii) कन्टेनमेन्ट जोन निम्नवत परिभाषित की जाती है:-

शहरी क्षेत्र

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है, वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, क्लस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेन्ट जोन होगा तथा उसके उपरांत 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।

ग्रामीण क्षेत्र

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम का सम्बन्धित मजरा।
 - (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (क्लस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेन्ट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगें।
- (iv) कन्टेनमेन्ट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेन्ट जोन में कड़ा परिधि नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।

- (v) कन्टेनमेन्ट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- (vi) कन्टेनमेन्ट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई. यू./सी-34/2020 दिनांक 24.05.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ लोग अन्य जनपदों/प्रान्तों से अपने साधन आदि से सीधे अपने घरों को आते रहे हैं।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है, परन्तु फिर भी कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानें आदि खोलने का प्रयास किया जाता रहता है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "


महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 09 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 02-लायबा क्लीनिक मौ0 किशोरी बाग गली नं0-2, अनूपशहर रोड, चौक बाजार, बुलन्दशहर हॉटस्पॉट नगर बुलन्दशहर में बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 07 हॉटस्पॉट-विक्रम औषधालय डा0 देवेन्द्र कुमार का घर शिकारपुर, मौ0 कंकरवाला बुगरासी थाना नरसेना, मौ0 पीरजादगान खुर्जा, हीरा कालौनी दनकौर रोड सिकन्द्राबाद, ग्राम सिरोधन सिकन्द्राबाद, ग्राम ढोका थाना अहमदगढ़, कायस्थवाड़ा (गुरुद्वारे के सामने) सिकन्द्राबाद बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

जनपद में अन्य जनपदों/प्रान्तों से काफी संख्या में आये प्रवासी मजदूरों में से 12 मजदूर कोरोना पॉजिटिव पाये गये हैं, जिसके कारण जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या में अचानक ही वृद्धि हुई है। आज दिनांक 24.05.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-103 है, 358 व्यक्ति मेडिकल क्वारेन्टाईन में है तथा 280 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में है। जनपद में 02 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


24/05/2020
अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर
दिनांक-मई 24, 2020

सेवा में,


अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन चल रहा है। इस अवधि में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आ रहे हैं, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये हैं। यह भी प्रकाश में आया है कि कुछ लोग अन्य जनपदों/प्रान्तों से अपने साधन आदि से सीधे अपने घरों को आते रहे हैं।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन का पालन कराया जा रहा है। परन्तु फिर भी कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकाने आदि खोलने का प्रयास किया जाता रहता है तथा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जाता है, जिसके कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत व लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकान आदि न खोलने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।


24/5/20
निरीक्षक

स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलंदशहर

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपटित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 255/पी0एस0एम0एस0/2020 दिनांक 08-04-2020, 264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 एवं 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03 मई 2020 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा पत्रांक 924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18-05-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 03 मई 2020 में यथासंशोधन करते हुए लॉकडाउन दिनांक 31-05-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पॉच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संकमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित कम सं0 09 पर अंकित क्षेत्रों/हॉटस्पॉट को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 21 मई, 2020 की रात्रि 08:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य क्षेत्र/हॉटस्पॉट सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

| क0सं0 | हॉटस्पॉट का नाम | घोषित दि0 | थाना क्षेत्र |
|-------|--|------------|----------------------------------|
| 1 | विक्रम औषधालय, शिकारपुर (डा0 देवेन्द्र कुमार का घर/औषधालय) | 11-04-2020 | शिकारपुर |
| 2 | मौहल्ला कंकरवाला, बुगरासी | 13-04-2020 | नरसैना |
| 3 | लायबा क्लीनिक/घर, गली नं0 2, किशोरी बाग कालोनी, निकट अनूपशहर बस अड्डा, बुलन्दशहर | 03-05-2020 | कोतवाली देहात (क्षेत्र नई मण्डी) |
| 4 | मौ0पीरजादगान, खुर्जा | 07-05-2020 | को0 नगर खुर्जा |
| 5 | हीरा कालोनी, दनकौर रोड, सिकन्द्राबाद | 10-05-2020 | सिकन्द्राबाद |
| 6 | ग्राम सिरोधन, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद | 14-05-2020 | सिकन्द्राबाद |
| 7 | ग्राम ढोंका, वि0ख0 दानपुर व तहसील डिबाई | 18-05-2020 | अहमदगढ़ |
| 8 | कायस्थवाडा (गुरुद्वारे के सामने), सिकन्द्राबाद | 20-05-2020 | सिकन्द्राबाद |
| 9 | चौक बाजार, बुलन्दशहर | 21-05-2020 | को0नगर, बु0शहर |

मा0 मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 924/2020/सीएक्स-3 दिनांक 18-05-2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:-** (i) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
(ii) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
- ग्रामीण क्षेत्र:-** (i) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व का सम्बन्धित मजरा।
(ii) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राजस्व ग्राम कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेंगे।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
- 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
- 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।
- 4- कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेंस या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी

अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री वी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।

- 6- कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 7- कन्टेनमेंट जोन/हॉटस्पॉट क्षेत्र में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन/हॉट स्पॉट क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 9- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा।

उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रविन्द्र कुमार)

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 6- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 7- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 9- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 10- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/(न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 11- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 12- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाईजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉंछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 13- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चरपा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 14- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 15- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 16- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 17- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।